

दुबई को खाद्य पदार्थों के निर्यात हेतु परामर्श

भारत के महावाणिज्य दूतावास ने सूचित किया है कि भारत संयुक्त अरब अमीरात को खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करने वाला शीर्ष निर्यातक देश है, जिसके बाद यूके, नीदरलैंड, ओमान, अमेरिका, थाईलैंड और इटली का स्थान है और भारत का निर्यात संयुक्त अरब अमीरात की खाद्य आवश्यकता का लगभग 20% है। हालांकि, भारत से आयातित कई उत्पादों ने 2017 में दुबई मुनिसिपालिटी (डीएम) के खाद्य मानकों और सुरक्षा के प्रावधानों का उल्लंघन किया।

संयुक्त अरब अमीरात को खाद्य पदार्थों का निर्यात करने वाले भारतीय निर्यातकों से अनुरोध है कि वे संयुक्त अरब अमीरात द्वारा निर्धारित खाद्य सुरक्षा और मानकों के विनियमों और प्रावधानों के लिए आवेदन करें और उनका अनुपालन करने के लिए रचनात्मक कदम उठाएं और अस्वीकृति के प्रतिशत को कम करने के परिणामस्वरूप न्यूनतम हानि कम करें और संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख खाद्य निर्यातक के रूप में भारत की स्थिति को बनाए रखें।

दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में विधिवत संकलित सीजीआई में खाद्य पदार्थों के निर्यात के लिए निर्यातकों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले मानकों के कुछ पहलू नीचे दिए गए हैं:

❖ लेबल आवश्यकताएँ: निम्नलिखित जानकारी का उल्लेख करने के लिए खाद्य पदार्थ के लेबल की आवश्यकता होती है

- ब्रांड का नाम
- उत्पाद का नाम
- सामग्री
- एडिटिव्स के नाम या ई नंबर, यदि कोई हों
- उत्पादन व समाप्ति तिथि
- विनिर्माता का नाम (वितरक या आयातक)
- निवल भार
- उद्गम देश
- बारकोड
- भंडारण तापमान
- चेतावनी, यदि कोई हो
- तैयार करने की विधि, यदि कोई हो या उपयोग के लिए निर्देश
- पोषण तथ्य

उपरोक्त जानकारी का अरबी भाषा में उल्लेख करना भी अपेक्षित है।

❖ अधिकृत सरकारी संस्था से **स्वास्थ्य प्रमाण पत्र**:

- उद्गम देश से अधिकृत निकाय द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र में मानव उपभोग के लिए खाद्य पदार्थ की फिटनेस का संकेत होना चाहिए।
- मूल प्रमाण पत्र कनसाइनमेंट के निरीक्षण के दौरान प्रवेश बंदरगाह पर निरीक्षक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- स्वास्थ्य प्रमाणपत्र में निम्नलिखित विवरण शामिल होने चाहिए:
 - लोगो और पता
 - जारी करने वाला प्राधिकारी
 - शीर्षक
 - प्रमाणपत्र सं.
 - जारी करने की तिथि
 - निर्यातक
 - आयातक
 - मदविवरण
 - मात्रा
 - भार
 - स्वास्थ्य विवरण
 - उत्पादन तिथि
 - समाप्ति तिथि
 - भंडारण तापमान
 - अधिकृत हस्ताक्षर और मोहर

❖ **हलाल प्रमाणपत्र** (मांस, पोल्ट्री और उसके उत्पादों के लिए)

मांस केवल अनुमोदित बूचड़खानों से होना चाहिए । बूचड़खाने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित हैं। हलाल प्रमाण पत्र एक अनुमोदित हलाल संगठन से होना चाहिए और इसमें निम्नलिखित विवरण होने चाहिए:

- इस्लामिक एसोसिएशन का आधिकारिक लोगो
- क्रमांक/तिथि
- बूचड़खाने का नाम और पता
- मद विवरण
- ब्रांड नाम
- कुल मात्रा/भार

- लोडिंग पोर्ट
- बूचड़खानों की तारीख
- उत्पादन / समाप्ति तिथि
- उत्पादक कंपनी और संयंत्र
- आयातक
- निर्यातक
- हलाल विवरण
- अधिकृत व्यक्ति का नाम और हस्ताक्षर

❖ **जैविक प्रमाणपत्र** (यदि दावा किया गया हो)

जैविक होने का दावा करने वाले खाद्य पदार्थों के पास जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण मंत्रालय के मान्यता प्राप्त निकायों से जैविक प्रमाणपत्र होना चाहिए। स्वीकृत निकायों की सूची नीचे दिये गए साइटलिक के माध्यम से देखी जा सकती है।

<http://www.moccae.gov.ae/ar/laws-and-legislations/ministerial-decrees/general-ministerial-decrees.aspx#page=1>

'भारत जैविक' प्रमाणन वाले भारतीय मूल के उत्पादों को संयुक्त अरब अमीरात में जैविक उत्पादों के रूप में आयात करने की अनुमति है।

❖ **जीएमओ फ्री प्रमाणपत्र** (यदि दावा किया गया हो)

यह प्रमाणपत्र जीएमओ फ्री होने का दावा करने वाले खाद्य पदार्थों के लिए अनिवार्य है। मूल प्रमाणपत्र कनसाइनमेंट के निरीक्षण के दौरान प्रवेश बंदरगाह पर जमा किया जाना चाहिए । प्रमाण पत्र अधिकृत निकाय द्वारा जारी किया जाना चाहिए।

❖ परिपत्र के अनुसार अन्य प्रमाणपत्र

❖ **पैकिंग सूची**

❖ विशिष्ट कनसाइनमेंट के लिए **अन्य प्रमाणपत्र:**

❖ फार्म मछली और समुद्री भोजन व उसके उत्पादों के लिए **पोर्क फ्री डाइट प्रमाण पत्र**

यू.के. वत्स
महाप्रबंधक